न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी संख्या 15/2018

1– गोपालराम पुत्र रामलाल बाबर जाति मेघवाल निवासी कुणी तहसील नावां, जिला नागौर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1– सरपंच ग्राम पंचायत, चौसला पंचायत समिति नांवा जिला नागौर राज0।

2– प्रभारी,आंगन बाड़ी केन्द्र–द्वितिय
आगंन बाड़ी केन्द्र चौसला गाम पंचायत चौसला तहसील नांवा जिला नागौर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी अधिवक्ता, निगरानीकार।

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत चौसला के द्वारा जारी मिसल सं0 88 पट्टा सं0 7 दिनांक 21.04.2007 को निरस्त कराने बाबत।

निर्णय

दिनांक– 07.02.2019

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन इस प्रकार है:–

1. यह है कि निगरानीकर्ता का ग्राम कुणी का स्थायी निवासी है, जिसका रहवासी मकान ग्राम कुणी की आबादी सीमा के भीतर रहवासी पक्के मकानात बनाकर सपरिवार निवास करता चला आ रहा है।

2. यह है कि ग्राम कुणी की आबादी सीमा के भीतर निगरानीकर्ता के रहवासी पक्के मकानात बने हुये है, जिनमें निगरानीकर्ता व उसके पूर्वज पिछले 60 वर्षो से भी अधिक समय से निवास कर रहे है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निगरानीकर्ता व उसके परिवार का एक मात्र निवास करने का स्थान यही है।

3. यह है कि निगरानीकर्ता के द्वारा मकान बनी हुई भूमि पर विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा बेरोक–टोक आबादी भूमि में कब्जा भी है। इसके अलावा निगरानीकर्ता के पास इस रहवासी मकान के अलावा अन्य कोई भूमि भी नहीं है।

4. यह है कि उक्त भूमि पर विना किसी अधिकार क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौसला के सरपंच द्वारा जो कि निगरानीकर्ता से राजनैतिक द्वैषता रखता है। निगरानीकर्ता के मकान के स्थान का पट्टा दिनांक 21.04.2007 को पट्टा नं0 7 मिसल सं0 88 निःशुल्कआंगन बाड़ी केन्द्र कुणी द्वितीय के नाम जारी कर दिा। जिसे व्यथित होकर निगरानीकर्ता उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु निम्न आधार पर निगरानी पेश कर रहा हैः–

निगरानी के आधार

1– यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी अपास्त किये जाने योग्य है।

3–यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए पट्टा अधिन निगरानी जारी करने में घोर त्रृटि की है, अतः पट्टा अधिन निगरानी अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

4– यह है कि जिस स्थान पर गैरनिगरानीकार सं0 2 को पटटा जारी किया गया है, उस जगह पर निगरानीकार का वर्षो पूर्व मकान बनाया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाजापुर (म.प्र.)

यह निगरानी वकील निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 6.09.18 को पेश की, जो दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। तथा गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को रिकोर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अप्रार्थी के नोटिस चस्पा होकर प्राप्त हुवे जो शामील मिसल किये गये। नोटिस की जानकारी होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ जो शामील मिसल किया गया ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वकील निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी के बिन्दुओ को दोहराते हुवे बताया कि मेरा आबादी सीमा में रहवासी मकानात उसके पूर्वज 60 वर्षों से भी अधिक समय से निवास कर रहे है। सरंपच ग्राम पचायत ने उस भूमि का पटटा बना दिया है पटटा खारीज किया जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार जनता ग्राम कुणी ने 18.06.2006 को एक प्रार्थना पत्र सरंपंच, ग्राम पचायत चौसला को दिया गया जिसमे सभी ग्रामवासी ने गोपाल पुत्र रामलाल बलाई ग्राम कुणी का अतिक्रमण होना बताया तथा अतिक्रमण को हटाने का निवेदन भी किया है । जिस पर ग्राम पंचायत ने कार्यवाही हेतु नोटिस क्रमांक : 18/6 दिनांक 20.06.06को गोपाल राम पुत्र रामलाल जाति बलाई निवासी कुणी को भिजवाया । नोटिस में यह आरोप लगाया है कि प्रार्थी गोपालराम पुत्र रामलाल ने आगंन बाड़ी भवन निर्माणाधीन कुणी द्वितिय की नींव से सटते हुवे आम चौक व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कमरा दीवार आदी निर्माण कार्य कर रहे हे । कार्य बन्द करने हेतु पाबन्द किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकोर्ड व बहस का अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थी ने अपनी स्वंय की भूमि होने का कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की मिसल आदेशिका दिनांक 22.10.07 में भी प्रतिवादी ने अपने सबूत में कोई पुख्ता पट्टा या अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किया है तथा न हीं इस न्यायालय में स्वयं की भूमि होने का कोई ठास साक्ष्य सबूत पेश किया है। अतः निगरानी बिना साक्ष्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राज.)

सबूत के प्रार्थी की स्वयं की भूमि होना सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थी गोपाल राम द्वारा पेश निगरानी बिना साक्ष्य सबूत के चलने योग्य नहीं है।

:::: आ दे श ::::

प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं ।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक. 07.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7.2.19

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)